भारत सरकार
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या 1536**
जिसका उत्तर 4 दिसंबर, 2024 को दिया जाना है।
13अग्रहायण, 1946 (शक)

## गलत सूचना और फर्जी समाचार के मामले

**1536.डॉ. एम. पी. अब्दुस्समद समदानीः**
**श्री बैन्नी बेहननः**

क्या **इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) फर्जी समाचारों और गलत सूचनाओं से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;
(ख) वर्ष 2024 में गलत सूचना और फर्जी खबरों के कितने मामले सामने आए और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;
(ग) विषय-वस्तु मॉडरेशन और गलत सूचना के संबंध में भारत के आईटी कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी कंपनियों के साथ सहयोग का ब्यौरा क्या है;
(घ) गलत सूचना की पहचान करने और उससे बचने में नागरिकों की मदद करने के लिए उनमें डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और
(ङ) सरकार द्वारा फर्जी समाचारों और गलत सूचनाओं के ऑनलाइन प्रसार को कम करने में इन पहलों की प्रभावशीलता की निगरानी और मूल्यांकन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**उत्तर**

**इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)**

**(क) से (ङ):** भारत सरकार की नीतियों का उद्देश्य देश में उपयोगकर्ताओं के लिए एक खुला, सुरक्षित, विश्वसनीय और जवाबदेह साइबर स्पेस सुनिश्चित करना है। साइबर स्पेस में नकली समाचारों और गलत सूचनाओं जैसी चुनौतियों का समाधान करने के लिए भारत सरकार द्वारा की गई प्रमुख पहलें निम्नानुसार हैं:

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ("मंत्रालय") ने संबंधित हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के बाद, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियमावली, 2000 के तहत दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए सूचना प्रौद्योगिकी (माध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियमावली, 2021 ("आईटी नियमावली, 2021") को अधिसूचित किया है। आईटी नियमावली, 2021 में सूचना के संबंध में स्वयं और अपने कंप्यूटर संसाधन के उपयोगकर्ता को , सोशल मीडिया मध्यस्थों सहित मध्यस्थों द्वारा प्लेटफॉर्म पर होस्ट, प्रदर्शित, अपलोड, प्रकाशित, प्रेषित, संग्रहीत या साझा नहीं किए जाने केयथोचित प्रयास करने, विशिष्ट अपेक्षित सावधानी बरतने हेतु प्रावधान किए गए हैं । माध्यस्थों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी जवाबदेही सुनिश्चित करें जिसमें नियमों के अंतर्गत निर्धारित समय-सीमा के भीतर गैर-कानूनी सूचना को हटाने के लिए उनकी त्वरित कार्रवाई शामिल है। इस उद्देश्य से, गैरकानूनी जानकारी में निषिद्ध गलत सूचना, स्पष्ट रूप से झूठी जानकारी, प्रकृति में असत्य या भ्रामक जानकारी शामिल है।

आईटी नियमावली, 2021 में शिकायतों के निवारण के लिए माध्यस्थों द्वारा एक शिकायत अधिकारी की नियुक्ति भी अपेक्षित है। ऐसे अधिकारी द्वारा इन नियमों के उल्लंघन को ध्यान में रखकर पीड़ित/शिकायतकर्ता द्वारा की गई शिकायतों का समयबद्ध निवारण करना आवश्यक है। यदि पीड़ित/शिकायतकर्ता किसी माध्यस्थ के शिकायत अधिकारी के निर्णय से व्यथित है या समय पर निवारण प्राप्त नहीं करता है, तो वह शिकायत अधिकारी से पत्र प्राप्त होने के तीस दिनों के भीतर शिकायत अपीलीय समिति के समक्ष अपील कर सकता है। आईटी नियमावली, 2021में किए गए प्रावधानों के अनुसार अपेक्षित सावधानी का पालन करने में विफलता के मामले में, माध्यस्थ आईटी अधिनियमावली के तहत किसी भी तीसरे पक्षकार की जानकारी, डेटा या संचार लिंक के लिए देयता से छूट खो देते हैं ।

आईटी नियमावली, 2021 में अतिरिक्त अपेक्षित सावधानी उपाय के रूप में, महत्वपूर्ण सोशल मीडिया माध्यस्थ("एसएसएमआई") (यानी एक सोशल मीडिया माध्यस्थ जिसके भारत में पंजीकृत उपयोगकर्ताओं की संख्या 50 लाख या उससे अधिक है) समय-समय पर अनुपालन रिपोर्ट प्रकाशित करते हैं, जिसमें ऐसी सूचना लिंक का उल्लेख होता है जिसे उसने स्वचालित उपकरणों का उपयोग करके हटा दिया है या अक्षम कर दिया है। एसएसएमआई से अन्य अतिरिक्त अपेक्षित सावधानियों के साथ-साथ भारत की संप्रभुता और अखंडता, राष्ट्र की सुरक्षा, विदेशी राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, या लोक व्यवस्था या उपर्युक्त से संबंधित अपराध को उकसाने से संबंधित सूचना के प्रथम प्रवर्तक की पहचान करने या बलात्कार, मुखर यौन सामग्री या बाल यौन शोषण सामग्री (सीएसएएम)से संबंधित अपराधों को उकसाने पर उनका निवारण करने, पता लगाने, जांच, अभियोजन या दंड के लिए विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) के साथ सहयोग करने की भी अपेक्षा की जाती. है।

इसके अलावा, साइबर स्पेस में गलत सूचना जैसे उभरते नुकसानों को दूर करने के लिए मंत्रालय ने उद्योग के हितधारकों/सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के साथ कई परामर्श किए हैं और परामर्शी निदेश जारी की हैं , जिसके माध्यम से माध्यस्थों को सूचना प्रौद्योगिकी (माध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियमावली, 2021 के तहत उल्लिखित उनके अपेक्षित सावधानी दायित्वों के बारे में याद दिलाया गया था। सरकार नियमित रूप से प्रौद्योगिकी कंपनियों के साथ संपर्क में रहती है ताकि उन्हें इन नियमों के तहत अपेक्षित सावधानी आवश्यकताओं के संबंध में संवेदनशील बनाया जा सके।

मंत्रालय ने इंटरनेट का उपयोग करते समय उपयोगकर्ताओं के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए सूचना सुरक्षा शिक्षा और जागरूकता (आईएसईए) नामक एक कार्यक्रम शुरू किया है। सूचना सुरक्षा जागरूकता के लिए एक समर्पित वेबसाइटतैयार की गई है जिसपर नियमित आधार पर संगत जागरूकता सामग्री डाली जाती है और उसका अद्यतनीकरण किया जाता है और इसे https://www.infosecawareness.inपर देखा जा सकता है।

********